बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था02/02–06/2015........................ /पटना, दिनांक.....................

प्रेषक,

प्रमोद कुमार वर्मा,

निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,

अरबल, जमुई, लखीसराय, बेगूसाय, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, एवं मधुबनी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजना भिन्न/आयोजना बजट से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना/गैर स्थापना व्यय से वहन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–15 दिनांक 26.08.2015 के आलोक में बेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के सृजित पदों की अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान के लिए आवंटन के संबंध में । कुल अतिरिक्त आवंटित राशि रु0 1,64,,624/–(एक लाख चौसठ हजार छः सौ चौबीस) रुपये मात्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक–3429 दिनांक– 01.04.2015 के माध्यम से सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015 स्वीकृत हो चुका है।

2. कंडिका–02 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।
3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष–3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205– राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष–राज्य योजना, उप शीर्ष–0101–समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०–35 एवं विपत्र कोड– P/3454022050101 है।
4. संलग्न विवरणी के क्रमांक–1 से 09 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।
6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्वार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें।

8. आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–3429 दिनांक– 01.04.2015 एवं पत्रांक–5294, दिनांक 17.06.15 में उल्लेखित निदेश के साथ–साथ, समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9. स्वीकृत्यादेश संख्या–15, दिनांक– 26.08.2015 के आलोक में बिहार समग्र सांख्यिकी विकास योजना के तहत बेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा के विरूद्ध सृजित पदों के अवधि विस्तार के फलस्वरूप कार्यरत कर्मियों को इस आवंटन से नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में पारिश्रमिक का भुगतान किया जायगा।

10 आवंटित राशि से नियमानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015–16 में किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

ह0/–

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

ज्ञापांक ..../पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपिः 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

निदेशक

ज्ञापांक ......38......................./पटना, दिनांक ...17-03-16...........

प्रतिलिपिः 1.संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

17/3/16

आबंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205-राज्य सांख्यिकी एजेंसी, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-P/3454022050101

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	13-01 कार्यालय व्यय	13-02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	16-01 प्रपत्रों का मुद्रण	20-03 प्रशिक्षण व्यय	28-01 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला सांख्यिकी कार्यालय							
1	अरबल	-	-	-	-	1,920	1,920
2	जमुई	-	-	-	-	26926	26926
3	लखीसराय	-	-	-	-	45000	45000
4	बेगूसराय					2000	2000
5	वैशाली					10000	10000
6	मुजफ्फरपुर					15217	15217
7	समस्तीपुर	-	-	-	-	8561	8561
8	सीतामढ़ी	-	-	-	-	5000	5000
9	मधुबनी	-	-	-	-	50000	50000
	कुल योगः-	-	-	-	-	164624	164624

(एक लाख चौसठ हजार छः सौ चौबीस रुपये) मात्र।

17/3/16

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

17/3/16